DESHKAL SOCIETY

वासभूमि का हक़

त्रैमासिक बुलेटिन

जुलाई–सितम्बर 2012

वासभूमि-अधिकार के लिए क्षमता निर्माण एवं नीतिपरक पहल

अनुसूचित समुदाय के अधिकांश परिवार भूमिहीन मजदूर हैं जिनके पास खेती की जमीन नहीं हैं। ऐतिहासिक तौर पर वे परम्परागत जजमानी कमिया व्यवस्था के अर्न्तगत जमींदारी प्रथा के दौरान भू-मालिकों द्वारा दी गई भूमि पर बसे हुए परतंत्र बंधुआ मजदूर थे। हालांकि स्वतन्त्रता के पश्चात विभिन्न परिस्थतियों के कारण सरकारी एवं सार्वजानिक भूमि, पर्वतीय, पठारी क्षेत्र, नदी के तट पर या गांव में आहार अथवा ताल के किनारे अनुसूचित समुदाय के लोगों ने अपनी बस्ती बनानी आरम्भ कर दी। इस प्रकार की प्रवृत्ति के विकसित होने की मुख्य वजह भूमिहीनता, जनसंख्या दबाव, कृषि का आधुनिकीकरण, पूंजीवादी कृषि व्यवहार का विकास एवं परम्परागत संरक्षक-आश्रित श्रम संबंधों के लोप होने के कारण हुआ।

इनमें से अधिकांश अनुसूचित परिवारों के पास अपनी आवासीय भूमि की, जहां वे एक लम्बे समय से रह रहे हैं, वैध दावेदारी नहीं है। हालांकि बिहार में पहले से बिहार प्रीविलेज्ड पर्सन्स होमस्टैड टेन्नेन्सी ऐक्ट (1947) तथा कई अन्य प्रावधान व नीतियों की व्यवस्था की गई है, जिससे कि भूमिहीनों को रैय्यती, गैरमजरूआ एवं गैरमजरूआ खास व अधिशेष सरकारी जमीनों का कानूनी मालिकाना हक मिले। किन्तु अनुसूचित समुदाय के सदस्यों को इन प्रावधानों व कानूनों का कोई लाभ नही मिल सका है। सरकारी अधिकारी और संस्थानों का अनुसूचित समुदाय के अधिकारों और दावेदारी के प्रति रवैया निराशापूर्ण ही रहा है। इसलिए क्रियान्वयन हेतु बने हुए नियमों और कानूनों की उपेक्षा हुई है। आवासीय भूमि का अधिकार प्राप्त करने में संलग्न प्रशासनिक प्रक्रिया एवं प्रावधान तथा कागजी कार्यवाई इतनी जटिल व कठिन है कि भूमिहीन ग्रामीण अनुसूचित समुदाय के लोगों को इस प्राक्रिया को समझने तथा संयोजित करने और इसके माध्यम से कानूनी भू-अधिकार प्राप्त करने में अत्यन्त कठिनाई होती है। ग्राम पंचायत जैसे स्थानीय सरकारी संस्थानों में अपनी आवाज उठा पाना और इसके माध्यम से किसी निर्णय को प्रभावित कर अपने अधिकारों का दावा कर पाने के लिए अनुसूचित समुदाय के मध्य अभी भी क्रियाशीलता, संगठन एवं क्षमता की कमी पायी जाती है।

आवासीय भूमि के कानूनी अधिकार के न होने के कारण अनुसूचित समदाय के सदस्यों को एक समाजिक पहचान की समस्या है, तथा वे अपनी बस्ती के प्रति लगाव की कमी महसूस करते हैं। कई पीढ़ियों से वे जिस भू-भाग पर रह रहे हैं वहां से वे कभी भी बेदखल किये जाने की आंशका में जीते हैं।

इसी वजह से वे सदैव शोषण का शिकार होते हैं, तथा इस स्थिति में नहीं होते कि अपने श्रम के लिए बेहतर मजदूरी अथवा बेहतर कार्य परिस्थितियों की मांग कर सकें। आवासीय भूमि की कानूनी दावेदारी न होने के कारण वे इन्दिरा आवास योजना एवं अन्य विकासात्मक कार्यक्रम, जैसे बैंक अथवा डाकखाने में खाता आदि खोलने की मौलिक सुविधाओं के लिए भी योग्य नहीं होते।

इस परिस्थिति के मद्देनजर परियोजना का उद्देश्य विकास की वह पहल है जिससे अनुसूचित समुदाय का क्षमता-निर्माण किया जा सके। विशेषकर महिलाएं अपने ज्ञान, सूचना-कौशल और योग्यता को एकत्रित आवाज में बांधकर एक प्रभावी संघ के रूप

विषय सूची

1. वासभूमि-अधिकार के लिए क्षमता निर्माण एवं नीतिपरक पहल 1
2. समुदाय आधारित संगठन का निर्माण 3
3. लोक कलाकारों का कार्यक्रम 4
4. पैक्स टीम की समुदाय के साथ बैठक 6
5. रेणु देवीः एक मिसाल 6
6. वासभूमि पर एक रिपोर्ट 8

में अपने भू-अधिकार की मांग कर सकें तथा सरकारी संस्थाओं और संगठनों में सामाजिक रूप से तिरस्कृत, अनुसूचित समुदाय के अधिकार व दावेदारी हेतु उपस्थित नीतियों एवं प्रावधानों के क्रियान्वयन की पहल में सकारात्मक दखल दे सकें।

इस परियोजना का क्रियान्वयन देशकाल सोसायटी, ग्राम निर्माण केन्द्र, लोक शक्ति शिक्षण केन्द्र एवं प्रखण्ड ग्राम स्वराज सभा के सहभागिता एवं डी. एफ. आई. डी. द्वारा संचालित पैक्स की वित्तीय सहायता से चल रहा है। यह परियोजना गया जिला के चार प्रखण्ड वजीरगंज, अतरी, परैय्या एवं मोहनपुर में चल रही है। इन चार प्रखण्डों के अन्तर्गत आने वाले सभी 480 गांव एवं 54 पंचायतें इस परियोजना के भौगोलिक क्षेत्र में हैं। इसलिए लगभग पचास हजार अनुसूचित परिवार इस परियोजना के लक्ष्य क्षेत्र में हैं।

उद्देश्यः इस परियोजना का उद्देश्य अनुसूचित समुदाय द्वारा धारित भू-अधिकार एवं दावेदारी को सुधारना है, जिससे महिलाओं को सक्षम कर उन्हें सस्म्मान जीवन जीने के लिए अभिप्रेरित किया जा सके।

प्रमुख लक्ष्यः अनुसूचित जातियों विशेषकर महिलाओं की आवासीय भूमि व अन्य सरकारी भूमि की दावेदारी सुनिश्चित करना।

अनुसूचित जाति विशेषकर महिलाओं का क्षमता-विकास जिससे कि वे एक स्वर में अपने अधिकार व दावेदारी की मांग को रख सकें।

यह सुनिश्चित करना कि अनुसूचित जाति व महिलाओं के भू-अधिकारों व शिक्षा के प्रति सरकारी नीतियां और संस्थान सजग और जिम्मेदार बनें।

मुख्य कार्यक्रमः समुदाय आधारित संगठनों से लक्षित समुदायों को संगठित एवं गतिशील कर उन्हें पंचायतराज संस्थानों एवं सरकार के साथ बेहतर वार्ता व प्रभावी सवांद के लिए सक्षम बनाना।

समुदाय आधारित संगठनों एवं अन्य संस्थाओं के माध्यम से जन अभियान चलाना और उनकी वकालत करना।

गोष्ठी और कार्यशाला के जरिये समुदाय आधारित संगठनों एवं अन्य सहभागी संगठनों के माध्यम से सरकार के साथ नीतिगत मामलों में वार्ता की वकालत।

लोक कार्यक्रम और संचार माध्यमों के द्वारा जमीनी स्तर पर संप्रेषण तन्त्र स्थापित करना।

भावी परिणाम

- अनुसूचित परिवार विशेषकर महिलाओं की आवासीय भूमि दावेदारी में वृद्धि।
- अनुसूचित परिवार विशेषकर महिलाओं की कृषि हेतु अधिशेष सरकारी भूमि के वितरण के फलस्वरूप पहुंच में वृद्धि।
- अनुसूचित जाति एवं विशेषकर महिलाओं के अधिकारों और दावेदारी के प्रति सभी सरकारी कर्मचारी एवं संस्थानों की बढ़ती जागरूकता और जिम्मेदारी, तथा अनुसूचित जातियों

को भूमि-अधिकर कानून एवं नीतियों से मिलने वाले लाभ में वृद्धि।

- अनुसूचित जातियों के भूमि अधिकार हेतु सरकारी नीतियों एवं प्रावधानों में वृद्धि।
- सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों के पंजीकरण व अध्ययन में वृद्धि।
- स्कूलों में मध्यान्ह भोजन की व्याख्या को सुनिश्चित करना।

समुदाय आधरित संगठन का निर्माण

गांव, पंचायत, प्रखण्ड और जिला स्तर पर विस्तृत समुदाय आधारित संगठनों के तन्त्र का माध्यम ही परियोजना को क्रियान्वित करने का आधार बनता है। अनुसूचित समुदाय के मध्य जागरूकता व क्रियाशीलता उत्पन्न करने के लिए प्रत्येक गांव व टोले में संगोष्ठी आयोजित की गई। सभी गांवों में समुदाय के नेता से सम्पर्क किया गया। समुदाय के सदस्यों विशेषतया महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए सभी परिवारों से संम्पर्क किया गया।

इन सगोष्ठियों में अनुसूचित जातियों के भूमि अधिकार व दावेदारी से सम्बधित ज्ञान और सूचना का आदान-प्रदान किया गया, जिसमें मुख्यता इन अधिकारों के लिए उपलब्ध विभिन्न नियम, परियोजना, उद्देश्य, गतिविधि एवं परिणाम तथा समुदाय आधारित संगठनों की इन अधिकारों की प्राप्ति में भूमिका पर चर्चा हुई। इन गोष्ठियों के माध्यम से प्रस्तावित गांव व टोले के सक्रिय सदस्य विशेषतया महिलाओं को चिन्हित कर उन्हें समुदाय आधारित संगठन के अध्यक्ष व सचिव के रूप में पदाधिकारी नियुक्त किया गया। महिलाओं को नेतृत्व करने के लिये विशेष रूप से प्रोत्साहित किया गया। आगे ग्रामीणस्तरीय समुदाय आधारित संगठनों का प्रत्येक पंचायत में गांव के सभी सदस्यों के साथ गोष्ठी करके एक मंच बनाया गया। प्रत्येक गांव के समुदाय आधारित संगठन ने कुछ मात्रा में अपने प्रतिनिधि नियुक्त किये जो पंचायत स्तरीय संघ में उनकी सहभागिता दर्ज करेंगे।

अब तक कुल 343 गांव स्तरीय समुदाय आधारित संगठन का सफल निर्माण हुआ है, जिसमें मोहनपुर खण्ड में 106, परैय्या में 101, वजीरगंज में 82 एवं अतरी में 54 संगठन बने। इसी प्रकार 32 पंचायत स्तरीय समुदाय आधारित संगठनों का सफल निर्माण हुआ जिसमें मोहनपुर और परैय्या में 9 व वजीरगंज एवं अतरी में 7 संगठन बने हैं। गांव व पंचायत स्तरीय संघों का दायित्व, परियोजना गति विधि की योजना, क्रियान्वयन एवं निर्देशन करना तथा मुखिया, पार्षद, सरकारी कर्मचारी एवं अमीन से बातचीत और समझौते करना था। समुदाय आधारित संगठनों के क्षमता निर्माण के लिये 4 प्रस्तावित खण्डों में 15 पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिसमें वजीरगंज खण्ड में, सहिया, बिच्छा, अमैठी व जमुआवा पंचायत, अतरी प्रखण्ड में जीरी, दीहूरी, सिरह एवं धनसूरी पंचायत, परैय्या प्रखण्ड में गोपाल कुड, लाडू, बगूला एवं सिरियामा पंचायातों का आयोजन किया गया। इन दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाओं का उद्देश्य सदस्यों का क्षमता निर्माण रहा है। इससे अनुसूचित जाति के भूमि अधिकार और शिक्षा से सम्बधित विभिन्न नियमों, नीतियों एवं प्रावधानों की जानकारी तथा इनके क्रियान्वयन की प्रशासनिक एवं संस्थागत विधियों और प्रक्रियाओं की जानकारी प्रदान करना था। तथा भूमि अधिकार एवं दावेदारी हेतु दायर किये गये आवेदन पत्रों की आधिकारिक जानकारी, उनका ब्यौरा और संरक्षण के लिए सूचना के अधिकार का प्रयोग करना था।

परियोजना की अगले उपागम की गतिविधियों में इन पंचायत स्तरीय समुदाय आधारित संगठनों के तन्त्र के माध्यम से जिला स्तरीय संघ का निर्माण होगा। समुदाय आधारित संगठनों

के मध्य जिला स्तरीय संघ ही सर्वोच्च संस्था होगी। जिला स्तरीय संगठन को भूमि अधिकर का जिला संघ कहा जायेगा। इसका कार्य सभी जिला स्तर पर सभी कार्यक्रमों को नियोजित क्रियान्वित एवं निर्देशित करना होगा तथा प्रखण्ड स्तरीय संगठनों को निर्देश एवं सहयोग प्रदान करना होगा।

वे सरकारी कर्मचारी जैसे कि डी. एम., डी. सी. एस. आई., सी. ओ., सी. आई. एवं कर्मचारी इत्यादि से गोष्ठी व वार्ता का कार्य करेंगे।

समुदाय आधारित संगठनों का गांव व टोला व पंचायत स्तर को निर्माण अत्यन्त सफल रहा है। वास्तव में इन्होंने हमारी आरम्भिक प्रत्याशा से अधिक कार्य किया। इसके प्रमुख सहायक कारक थे;

अ. प्रमुख नागरिक समाज संगठन और तन्त्र सहभागी परियोजना क्षेत्र में कई वर्षों से कार्यरत थे। जिन्होंने अनुसूचित जातियों विशेषकर मुसहर समुदाय से विशेष संम्बंध बना रखा था।

ब. परियोजना क्षेत्र के भूमि अधिकर व शिक्षा के सन्दर्भ में इन लोगों को गहरी समझ व विस्तृत अनुभव प्राप्त था। पैक्स के प्रथम चरण के दौरान ये लोगों आवासीय भू-अधिकार के विषय में काम कर रहे थे, इसलिए अनुसूचित समुदाय के मध्य विश्वास एवं निष्ठा विकसित करने में सफल रहे। परियोजना सदस्यों की कार्यनिष्ठा ने जिनमें कई स्वयं मुसहर समुदाय हैं, ऐसे समुदाय के हितों के लिए संघर्ष की प्रतिबद्धता एवं उत्प्रेरणा का काम किया। इससे कार्यकताओं को अनुसूचित समाज के मध्य समुदाय आधारित संगठन के निर्माण के लिए नई ऊर्जा मिली। आरम्भिक दिनों में परियोजना के सदस्यों को अनुसूचित जाति के लोगों को क्रियाशील करने में काफी कठिनाई हुई थी, क्योंकि इनमें से अधिकतर दिहाड़ी मजदूर थे। वे अपनी रोज की कमाई के लिये सुबह ही निकल जाते थे। इसलिए वे दिन के समय में सामान्यता गांव में उपलब्ध नहीं होते थे। उनके लिए काम छोड़कर एक दिन की कमाई गवांना काफी कठिन था। काम की तलाश में काफी लोग और खासकर मुसहर समुदाय के लोग अस्थायी तौर पर अन्य क्षेत्रों या राज्यों को पलायन कर जाते थे। इन परिस्थितियों में लक्षित समुदाय के सदस्यों को क्रियाशील करना उनमें विश्वास व उत्साह उत्पन्न करना तथा समुदाय आधारित संगठन के निर्माण के लिये प्रोत्साहित करना, हमारी परियोजना के सदस्यों के लिए एक कठिन कार्य था।

लोक कलाकारों का कार्यक्रम

अनुसूचित समुदाय के मध्य शिक्षा और भूमि अधिकार के क्षेत्र में जागरूकता, संवेदनशीलता, एवं गतिशीलता के लिए लोक कलाकारों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम काफी प्रभावी माध्यम के रूप में उभरते हैं। लोक कलाकार लोक गीत और नुक्कड़ नाटक का प्रयोग समुदायों को भूमि अधिकार और शिक्षा से सम्बंधित संदेश एवं सूचना प्रदान करने हेतु करते हैं। लोक कलाकारों के अब तक

कुल 16 कार्यक्रम आयोजित किये जा चुके हैं जिनमें वजीरगंज प्रखण्ड के विष्णुपूर, सहीया, पुनामा और दलियागांव पंचायत, अतरी प्रखण्ड के जीरी, दीहूरी, सिरह व दिहूरी पंचायत, परैय्या खण्ड के कपशीया, मंझीयामा, सोलारन्द, अजमरगंज पंचायत तथा मोहनपुर प्रखण्ड के गोपाल केडा, देमा, बगूला, व सिरियामा पंचायत में ये कार्यक्रम आयोजित किये गये।

कार्यक्रम आरम्भ करने के पूर्व लोक कलाकारों के लिए एक दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 29-30 अप्रैल को कार्यक्रम सहभागी ग्राम निर्माण केन्द्र झाकों के कार्यालय में किया गया। इसके प्रतिभागी मुसहर समुदाय के 10 लोक कलाकार एवं 2 परियोजना टीम के सदस्य थे। इन लोक कलाकारों को जीतिया और झूमर इत्यादि परम्परागत लोक कला जो कि मुसहर समुदायों से सम्बंधित हैं की विधाओं में इन्हें कौशल प्राप्त था।

परियोजना का मुख्य उद्देश्य तथा लोक कला कार्यक्रमों के माध्यम से उस उद्देश्य प्राप्ति के लक्ष्य में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को सर्वप्रथम उन्हें समझाया गया। प्रथमतया भूमि अधिकार, विशेषतया आवासीय भू-अधिकार व शिक्षा से सम्बंधित विषयों की पहचान करने के साथ साथ समुदाय की भूमि और शिक्षा के अधिकार परियोजना के उद्देश्य एवं कार्यक्रम व फलस्वरूप हो सकने वाली बेहतर स्थिति के बारे में इन लोक कला विधाओं को माध्यम बनाकर इन समुदायों को संदेश और सूचना प्रदान करने का प्रयास किया गया। इसके बाद इस बात पर चर्चा हुई कि परियोजना के विषय पर किस प्रकार सामग्री तैयार कर उसे विभिन्न परम्परागत लोक कला विधाओं के लिए उपयुक्त बनाया जाये। बहस और वार्ता के आधार पर लोक कलाकारों के साथ विभिन्न लोक कलाओं का प्रयोग करके कुछ कार्यक्रमों के लिये नमूने तैयार किये गये।

लोक कलाकारों द्वारा प्रस्तुत कार्यकमों का मुख्य उद्देश्य गांव के लोगों के मध्य भू-अधिकार के मुद्दों व शिक्षा एवं उनसे विकास के अधिकार व दावेदारी के प्रति जागरूकता लाना था। लोकगीत एवं नृत्य जो कि दलित एवं हाशिए पर के समुदाय के अधिकारों के मुददों पर आधारित थे, के माध्यम से लोगों तक काफी प्रभावी संदेश गया।

इन कार्यक्रमों ने हमारी परियोजना के उद्देश्यों को काफी सरलता से लोगों तक पहुंचाया क्योंकि जो इन परम्परागत लोक विधाओं के साथ काफी लम्बे समय से जुड़े रहे हैं और किसी अन्य माध्यम की जगह उसे आसानी से समझते हैं। चूंकि कलाकार स्वयं दलित समुदाय से सम्बधित थे, इसलिए वे दलित और हाशिए पर के समुदाय के लोगों के साथ सम्पर्क सरलता से स्थापित कर पा रहे थे।

पैक्स टीम की समुदाय के साथ बैठक

पैक्स कार्यक्रम के तहत एक दो सदस्यीय टीम ने 23 व 24 अगस्त 2012 को परियोजना क्षेत्र का भ्रमण किया। इस टीम में श्री राजपाल, राज्य प्रबन्धक तथा आरती वर्मा, कार्यक्रम पदाधिकारी जायजा हेतु वजीरगंज खण्ड के विष्णुपुर पंचायत के परसावा गांव, मोहनपुर प्रखण्ड के सिरियामा पंचायत के बलियारी गांव तथा परैय्या खण्ड के कयश्या पंचायत के परनपुर गांव गये।

पैक्स टीम ने परियोजना टीम, सहभागी संगठनों के प्रतिनिधियों व समुदाय आधारित संगठन के सदस्यों के साथ चल रही गतिविधियों व उनको सुचारू और सुदृढ रूप से क्रियान्वित करने के उपायों पर चर्चा कीं। समुदाय आधारित संगठन के सदस्यों से बात करते हुए श्री राजपाल ने इस बात पर जोर दिया कि उन्हें स्वयं ही आगे आकर काम करना होगा तथा वे यथासंभव गांव के मुखिया, तहसील के अधिकारी, तहसील निरीक्षक, भू-राजस्व के जिला आयुक्त (DCLR) तथा जिला मजिस्ट्रेट से मिलते रहें और उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराते रहें। उन्होनें कहा कि देशकाल सोसायटी तथा सहभागी संगठन इस क्षेत्र में एक प्रभावी मददगार की भूमिका अदा करेंगे। समुदाय अधारित संगठन के सदस्यों से मुलाकात के दौरान और खासकर महिला सदस्यों के साथ आरती वर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि आंगनवाड़ी कार्यक्रमों की प्रभावी कार्यशीलता में उनकी नेतृत्वकारी सहभागिता की आवश्यकता है तथा वे यह सुनिश्चित करें कि आवासीय भूमि के पर्चा और परवाना में उनका भी नाम शामिल हो।

रेनू देवी : एक मिसाल

क्षेत्र : गया जनपद, बिहार

बिहार के सभी जनपदों में पायी जाने वाली अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत (29.6%) गया में है, जिसमें अनुसूचित जातियों की दो तिहाई (लगभग 60%) जनसंख्या मुसहर समुदाय की है (भारत की जनगणना 2001)। लक्षित जनपद कावजीरगंज तहसील अध्ययन क्षेत्र में समस्त जनसंख्या में अनुसूचित जाति के लोग एक तिहाई (32.75%) हैं। यहां समस्त जनसंख्या में कृषि मजदूर 50 प्रतिशत हैं, जो पूरे गया जिले के औसत (43.8%) से भी अधिक है।

वजीरगंज तहसील के अनुसूचित जातियों की व्यावसायिक संरचना से स्पष्ट होता है कि ऐतिहासिक रूप से ये लोग परम्परागत कमियौटी व्यवस्था के तहत बंधुआ कृषि मजदूर थे, और अब अधिकांशतः भूमिहीन कृषि मजदूर हैं। कुछ अनुसूचित जाति के परिवार कृषि श्रमिक होने के साथ-साथ छोटे आकार की भूमि पर बटाई करते हैं।

एक लम्बे समय से सरकारी नीतियों, नियमों और कानून के रहते हुए भी इस क्षेत्र के बहुसंख्यक अनुसूचित परिवार कई पीढियों से बसे हुए, भूखण्ड पर आवास बनाने के कानूनी अधिकार से वंचित हैं।

अनुसूचित जातियों के हितों और अधिकारों के प्रति सरकारी अधिकारी एवं संस्थान उपेक्षा ही करते रहे हैं, व कभी-कभी पूर्णरूप

रेनू देवी अपने पति संजय के साथ

से तिरस्कार भी। अपने वासभूमि हेतु भूखण्ड के कानूनी अधिकार के लिये अनुसूचित जातियों द्वारा दर्ज आवेदन को सरकारी अधिकारी लम्बित रखते हैं। (अनुसूचित समुदाय के हितों की रक्षा के लिये बने कानून की अवहेलना ही देखी गई है)। उन्हें कानूनी अधिकारों की मांग के लिए आवश्यक सरकारी दस्तावेज व सूचना से भी वंचित रखा गया है। कानूनी दावेदारी के अभाव में अनुसूचित समुदाय कभी भी अपने घर से बेदखल हो सकते हैं। रैय्यती भूमि के मामलों में जमींदार बेदखली की धमकी देकर उनसे दमनकारी श्रमिक व्यवस्था स्वीकार करवाता है। गैरमजरूआ भूमि के मामलों में सरकारी तन्त्र द्वारा पूरी बस्ती को ही अवैध घोषित कर दिया जाता है तथा आबादी को मौलिक सुविधायें जैसे कि पीने का पानी, सड़क तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन का कार्ड और मतदाता पहचान पत्र भी उपलब्ध नहीं होता।

रेनू देवी और उनका गाँव

रेनू देवी, एक 28 वर्षीय युवती है। अनुसूचित जाति से सम्बन्धित, रेनू देवी, विष्णुपुर पंचायत, वजीरगंज तहसील जनपद गया के देवचक गांव की निवासी है। पति संजय दास, ससुर फूलचन्द दास, सास गौरी देवी, 5, 3 व 1 साल की क्रमशः 3 कन्याओं को मिलाकर उनके परिवार में 7 सदस्य हैं। रेनू देवी व उनकी सास अशिक्षित हैं, जबकि उनके पति 12वीं तक और उनके ससुर ने 8वीं तक पढ़ाई की है। 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उनके पति को कोई रोजगार नहीं मिल पाया है। अपने जीवन यापन के लिए पूरा परिवार भूमि के एक छोटे टुकड़े पर बटाई के साथ खेतों में दिहाड़ी मजदूरी करता है।

देवचक गांव जहां रेनू देवी रहती हैं, अनुसूचित समुदाय के 81 परिवार हैं, जिसमें चमार, मुसहर व पासवान परिवार क्रमशः 21, 30 व 10 हैं। इनमें अधिकांश भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार हैं। रेनू देवी के परिवार की भांति ही जीवन यापन के लिये कुछ परिवार मजदूरी के साथ-साथ भूमि के छोटे हिस्सों में बटाई (साझा खेती) भी करते हैं। गांव के अन्य अनुसूचित परिवारों की भांति रेनू देवी का भी परिवार अपने मकान के भू-भाग पर पिछले 50 वर्षों से रह रहा है। इस संन्दर्भ में बिहार सरकार की विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों के उपलब्ध होने के बाद भी किसी परिवार के पास इस जमीन की वैध दावेदारी नहीं है। चूंकि यह आवासीय जमीन गैरमजरूआ आम जमीन की श्रेणी की है, इसलिए सरकारी अधिकारियों के द्वारा बेदखल कर दिये जाने का खतरा सदैव बना रहता है। तथा आधिकारिक तौर पर इनकी बस्ती अवैध निर्धारित होने की वजह से सड़क और पीने के पानी जैसी विकास की मौलिक आवश्यकताओं से भी वंचित है।

आवासीय भूमि दावेदारी हेतु रेनू देवी का कानूनी दावा

रेनू देवी के पति के 12वीं कक्षा तक पढ़ लेने की वजह से उनके परिवार को भूमिहिन परिवारों व विशेषतः अनुसूचित समुदाय के लोगों के अधिकारों तथा वासभूमि के लिए कानूनी दावेदारी हेतु सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न नीतियों और योजनाओं के प्रति जागरूकता थी। इसलिये उनके परिवार ने अपनी जमीनों के कागजात प्राप्त करने का प्रयास किया तथा सन 2008 में सम्बंधित तहसील के कार्यालय में जमीन की कानूनी दावेदारी का आवेदन किया।

गैरमजरूआ आम भूमि के निपटारे हेतु बने सरकारी नियम के अनुसार कई आधिकारिक स्थितियों से गुजरने के बाद उनका आवेदन बिहार सरकार के राजस्व बोर्ड, जो इन मामलों का प्रतिवेदन अनुमोदन करती है, के पास अन्ततः पहुंचा। विगत तीन वर्षों में अपने दावे की वस्तुस्थिति की जानकारी के लिए विभिन्न सरकारी कार्यालयों के कई चक्कर काटने पर भी वे कोई पुख्ता सूचना एकत्र कर पाने में असमर्थ रहे। अन्त में उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका आवेदन राजस्व बोर्ड द्वारा कुछ टिप्पणी के साथ जनपद आयुक्त भूमि राजस्व के पास भेज दिया गया है। उन्हें जमीन आवंटन में आने वाली कानूनी बाधा के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। तदनन्तर बिना किसी अग्रिम कार्यवाही के उनका आवेदन जनपद आयुक्त भू-राजस्व के कार्यालय में पड़ा हुआ है।

उम्मीद की किरण : रेनू देवी अपनी आवासीय भूमि की कानूनी दावेदारी की सभी उम्मीदें खो चुकी थीं। उन्हें अपने गांव में देशकाल सोसायटी द्वारा समुदाय आधारित संगठन के माध्यम से अनुसूचित परिवारों को आवासीय भूमि की कानूनी दावेदारी हेतु संगठित करने के लिए प्रयासों के लिए आयोजित कार्यक्रम का पता चला। वह शीघ्र ही अपने गांव में एक समुदाय आधारित संगठन बनाने तथा अन्य अनुसूचित परिवारों को जागरूक करने के

लिए एक महिला नेतृत्वकारी कार्यकर्ता के रूप में सामने आयी। देशकाल की टीम के साथ, विष्णुपुर पंचायत के अन्य गावों में भी रेनू देवी ने जाकर अपने कानूनी संघर्ष में समुदाय आधारित संगठन के नाम के बारे में अनुसूचित परिवारों को जागरूक किया। समुदाय स्तरीय संगठन हेतु प्रशिक्षण के लिए आयोजित पंचायत स्तरीय शिविरों में सक्रिय भूमिका निभाई। तथा वो इस बात से भी परिचित हैं कि कैसे समुदाय आधारित संगठनों को ग्रामीण स्तर से उठाकर शहरों से जोड़ने से उनके समुदाय द्वारा आवासीय भूमि हेतु किये जा रहे संघर्ष को आवश्यक एकता और बल मिल सकेगा। सामुदायिक प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप वह आज सूचना के अधिकार का प्रयोग कर सकने में सक्षम है। तथा इसके माध्यम से वह सारी सूचना प्राप्त करने में सफल रही जो कि उन्हें पूर्व में सारे अथक प्रयास के बाद भी नहीं मिल सका था।

ग्रामीण बिहार में आवास एवं आवासीय भूमि के अधिकार पर रिपोर्टः

स्थिति, मुद्दे और चुनौतियांः गृह एवं सुरक्षित दीर्घकालीन वास का अधिकार किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता है। यह मनुष्य को पहचान व लगाव का बोध कराता है। यह नागरिकता का भी आधार है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना वास्तविक मायनों में यह इंगित करती है कि प्रत्येक मनुष्य के सिर पर एक छत का होना, स्वतन्त्रता व भोजन के अधिकार के साथ उसका मौलिक अधिकार है। इस परियोजना के अनुसार सभी भूमिहीन परिवार जो नियमित आवासीय भूमि से वंचित हैं, उन सभी को 10-15 सेन्ट जमीन आवंटित होनी चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण भूमिहीन तथा हाशिए पर के समुदाय को आश्रय के साथ जीवन यापन हेतु पशुपालन, चारा विकास इत्यादि का भी वैकल्पिक प्रबन्ध करना है।

भारत में बिहार ही वह प्रथम राज्य है, जहां भूमिहीन ग्रामीणों तथा हाशिए पर स्थित समुदाय के लिये रैय्यती जमीन पर वासभूमि के अधिकार के लिए 1947 में कानून बना, जो बिहार प्रीविलेज्ड पर्सन्स होमस्टैड टेन्नेन्सी ऐक्ट (1947) के रूप में जाना जाता है।

उसके बाद बिहार सरकार द्वारा भूमिहीनों को आवासीय अधिकार सुनिश्चित करने के लिये विभिन्न नीतियों और प्रावधानों की व्यवस्था जैसे कि गैरमजरूआखास, मालिक एवं गैरमजरूआ भूमि एवं आवासीय प्लाट आवंटन की व्यवस्था की गई। हालांकि ये नियम, नीति एवं प्रावधान सरल एवं स्पष्ट हैं। फिर भी यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत में बिहार ही ग्रामीण आवास की उपलब्धता में सर्वाधिक पिछड़ा है।

देशकाल सोसायटी द्वारा आयोजित ग्रामीण बिहार में आवास एवं वासभूमि का अधिकार : स्थिति, मुद्दे और चुनौतियां नामक अध्ययन इस रिपोर्ट के रूप में उपलब्ध है। यह इस तथ्य को उजागर करता है कि कानून व सामाजिक सत्य के मध्य पाये जाने वाली विषमता की वास्तविक वजह आवासीय अधिकार के दावे में पायी जाने वाली जटिल प्रक्रिया, कठिन प्रावधान व दुरूह कागजी कार्यवाई है। और यही वास्तविकता भूमिहीन ग्रामीण गरीब एवं हाशिए पर के समुदाय के लोगों को अपने अधिकार प्राप्त करने में सर्वाधिक कठिनाई हो रही है।

रिपोर्ट यह सुझाव देती है कि सरकार शीघ्र ही प्रशासनिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों को बहुआयामी बनाकर एक निश्चित दिशा प्रदान करे। सभी भूमिहीन परिवार तथा जिनके पास आवासीय भूमि का मालिकाना हक नहीं है, पहचान करे व गांव, टोला, मुहल्ला के आधार पर आंकड़े एकत्र करे। ग्राम पंचायत, प्रखण्ड एवं जिला स्तरीय अधिकारियों को एक सकारात्मक दृष्टिकोण के प्रति उत्प्रेरित करे जिससे कि आवास एवं आवासीय भूमि जरूरतमंद लोगों को मिल सके।

ग्रामीण भूमिहीन व हाशिए पर स्थित समुदाय के लोगों के लिये आवासीय अधिकार के लिये बिहार सरकार द्वारा प्रारम्भ प्रयास एक उम्मीद की किरण जगाता है और यदि सरकार अपने नियम और प्रावधानों को लागू करने के लिए एक विवेकशील प्रयास करती है तो उसे आवास एवं आवासीय भूमि उपलब्ध कराने का उद्देश्य प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

इस बुलेटिन के लिए पैक्स परियोजना से आर्थिक सहयोग मिला है। इसमें व्यक्त किए गए विचार देशकाल सोसायटी के है। इसका संबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पैक्स से नहीं है।

DESHKAL SOCIETY

देशकाल सोसायटी

205 द्वितीय तल, इन्द्रा विहार दिल्ली-110 009
टेली फैक्स : 011-2765 4895
E-mail : deshkal@gmail.com
Website : www.deshkalindia.com

नूतन नगर, न्यू एरिया, गया, बिहार
फोन : 0631-2220539